

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), बारां

क्रमांक:-एफ-9 / सहायता / 2021 / 217

दिनांक 09/03/ 2021

श्रीमान शासन सचिव
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं
नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर,

विषय:-आपदा प्रबन्धन से मुख्यमंत्री सहायता कोष में पुनर्भरण कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण स्व० श्री मानसिंह पुत्र श्री मुरली जाति सहरिया निवासी सीलोरा तहसील शाहबाद जिला-बारां एवं स्व० सुश्री दिया पुत्री हसंराज जाति नायक निवासी जैल कोलोनी अटरू तहसील अटरू को बाढ के दौरान नदी में डुबने से मृत्यु होने के कारण एसडीआरएफ नौम्स के तहत चार- चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक 751-57 दिनांक 17.04.2020 एवं 766-79 दिनांक 17.04.2020 स्वीकृति जारी कर मुख्यमंत्री सहायता कोष से भुगतान कर दिया गया था। उक्त राशि का पुनर्भरण मुख्यमंत्री सहायता कोष को किया जाना था, जो अभी तक लम्बित है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से किये गये भुगतान की राशि 08.00 लाख रुपये का पुनर्भरण करन हेतु एसडीआरएफ मद में उक्त प्रयोजनार्थ 08.00 लाख रुपये का बजट आवंटित करने का श्रम फरमावे।

सादर।

भवदीय

अति० जिला कलक्टर (सहायता),
बारां

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), बारां

दिनांक:- 17/9/2019

क्रमांक:- एफ-9/सहा0/2019/751-57

आदेश

बारां जिले के तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद से प्राप्त रिपोर्ट तथा अभिशंभा के आधार पर निम्नलिखित व्यक्ति की दिनांक 15.08.2019 को ग्राम सिलोरा नदी में नहाते वक्त पैर फिसल जाने के कारण नदी में बह जाने से पानी में डूब जाने से मृत्यु होने पर सहायता विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ-1(1)(4)आप्र एवं सहा./सामा./2013/14191 दिनांक 17.12.2013 के संसोधित एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. नियम दिनांक 08.04.15 के अनुसरण में मृतक के आश्रित/परिजन को उनके नाम के सामने अंकित सहायता राशि एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है। पात्रता नहीं पाये जाने की दशा में उक्त राशि सम्बन्धित से वसूली योग्य होगी।

क्र. स.	मृतक व्यक्ति का नाम निवास का पता	क्षति का संक्षिप्त विवरण	सहायता राशि रु.	आश्रिता जिसे भुगतान किया जाना है नाम/पता
1	स्व0 श्री मानसिंह पुत्र श्री मुरली आयु 28 वर्ष जाति सहरिया निवासी ग्राम सीलोरा तहसील शाहबाद जिला बारां	दिनांक 15.08.2019 को ग्राम सिलोरा नदी में नहाते वक्त पैर फिसल जाने के कारण नदी में बह जाने से पानी में डूब जाने से मृत्यु	400000/-	श्रीमती कसूलदा बाई पत्नि स्व0 श्री मानसिंह जाति सहरिया निवासी ग्राम सीलोरा तहसील शाहबाद जिला बारां

अक्षरे चार लाख रूपये मात्र।

2. बजट शीर्षक :-

- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
- 02 - बाढ़ चक्रवात आदि
- 111- शोकार्त परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी
- 02- बाढ़ से जनहानि होने पर अनुग्रह सहायता
- 01- —
- 12- सहायतार्थ अनुदान (आ.भि.)

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर (सहायता)
बारां

दिनांक:- 17/9/2019

क्रमांक:- एफ-9/सहा0/2019/751-57

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, शाहबाद।
4. कोषाधिकारी, बारां।
5. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, बारां।
6. केशियर कार्यालय हाजा कलेक्ट्रेट बारां।
7. श्रीमती कसूलदा बाई पत्नि स्व0 श्री मानसिंह जाति सहरिया निवासी ग्राम सीलोरा तहसील शाहबाद जिला बारां
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर (सहायता)
बारां

E-mail ID: dm-brn-rj@nic.in
admbaran@gmail.com

पता: मिनी सचिवालय, बारां (325205)
Ph.No.(07453)237001, 237003(Fax)237005
R.C. Korwal

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), बारां

क्रमांक:-एफ-9/सहा0/2019/776-79

दिनांक:-17/9/2019

आदेश

बारां जिले के तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी, अटरू से प्राप्त रिपोर्ट तथा अभिशंषा के आधार पर निम्नलिखित व्यक्ति की दिनांक 15.08.2019 को ग्राम अटरू में भारी वर्षों के कारण मकान ढहने से मलबे के नीचे दबने से मृत्यु होने पर सहायता विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ-1(1)(4)आप्र एवं सहा. /सामा./2013/14191 दिनांक 17.12.2013 के संसोधित एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. नियम दिनांक 08.04.15 के अनुसरण में मृतक के आश्रित/परिजन को उनके नाम के सामने अंकित सहायता राशि एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है। पात्रता नहीं पाये जाने की दशा में उक्त राशि सम्बन्धित से वसूली योग्य होगी।

क्र.स.	मृतक व्यक्ति का नाम निवास का पता	क्षति का संक्षिप्त विवरण	सहायता राशि रू.	आश्रिता जिसे भुगतान किया जाना है नाम/पता
1	स्व0 सुश्री दिया पुत्री श्री हंसराज आयु 07 वर्ष जाति नायक निवासी ग्राम जटवाडा जटवाडी तहसील पीपल्दाकला जिला कोटा हाल मुकाम अटरू जिला बारां	दिनांक ग्राम अटरू में भारी वर्षों के कारण मकान ढहने से मलबे के नीचे दबने से मृत्यु	400000/-	श्री हंसराज पुत्र श्री हीरालाल जाति नायक निवासी ग्राम जटवाडा जटवाडी तहसील पीपल्दाकला जिला कोटा हाल मुकाम अटरू जिला बारां

अक्षरे चार लाख रूपये मात्र।

2. बजट शीर्षक :-

- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
- 02 - बाढ़ चक्रवात आदि
- 111- शोकार्त परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी
- 02- बाढ़ से जनहानि होने पर अनुग्रह सहायता
- 01- ---
- 12- सहायतार्थ अनुदान (आ.भि.)

2

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर (सहायता)
बारां

दिनांक:- 17/9/2019

क्रमांक:-एफ-9/सहा0/2019/770-76

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, अटरू
4. कोषाधिकारी, बारां।
5. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, बारां।
6. केशियर कार्यालय हाजा कलेक्ट्रेट बारां।
7. श्री हंसराज पुत्र श्री हीरालाल जाति नायक निवासी ग्राम जटवाडा जटवाडी तहसील पीपल्दाकला जिला कोटा हाल मुकाम अटरू जिला बारां
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

2

जिला कलक्टर (सहायता)
बारां

पता: मिनी सचिवालय, बारां (325205)

Ph.No.(07453)237001, 237003(Fax)237005

R.C. Korwal

E-mail ID: dm-brn-rj@nic.in
admbaran@gmail.com